कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 49/2020 (2020/00437) दायर दिनांक 09.09.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

संशोधित टाईटल

1. नारायणलाल पिता जयराम कुम्हार निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. चांदीबाई पत्नी जयराम कुम्हार निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. रतनलाल पिता बलदेव शर्मा निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. मांगीबाई पत्नि हेमराज ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. अयोध्यादेवी पत्नि शंकरलाल ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. ओंकारलाल पिता नानुराम ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा।
5. कंकु पत्नि बंशीलाल ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. कल्पेश पिता मोतीलाल ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. कालुराम पिता भैरूलाल ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. गोपाललाल पिता बंशीलाल ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. गोवर्धन पिता बालुराम ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
10. चम्पालाल पिता रामेश्वरलाल ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
11. जानकी पुत्री मोतीलाल ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
12. डालीबाई पत्नि नानुराम ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
13. दीपिका पुत्री मोतीलाल ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 13:28:12 IST
Reason: SelfAttested

14. पपु पुत्री हरिशंकर ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
15. प्रभुलाल पिता बालुराम ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
16. भूरालाल पिता नानुराम ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
17. भंवरलाल पिता सवाईराम ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
18. भावना पुत्री मोतीलाल ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
19. भोली पत्नि भैरूलाल ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
20. मंजू पुत्री बंशीलाल ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
21. मनोहरलाल पिता सवाईराम ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
22. राजेश कुमार पिता शंकरलाल ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
23. रामचन्द्र पिता हजारीमल ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
24. लेहरू पिता गोकल कुम्हार निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
25. लेहरी पत्नि रामेश्वरलाल ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
26. लादी पुत्री हरिशंकर ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
27. संगीता पुत्री शंकरलाल ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
28. सवाईराम पिता तिलोक ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
29. सोहनी पत्नि मोतीलाल ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
30. हीरालाल पिता महादेव ब्राह्मण निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
31. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु. गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

—–विपक्षीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 13:28:12 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :– अधिवक्ता प्रार्थीगण : श्री महेश दाधीच
पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांकः-12.03.2021

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सातलियारा पटवार हल्का सातलियास तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 81 रकबा 0.15 हे0 किस्म बारानी तृतीय, 82 रकबा 0.21 हे0 किस्म बारानी तृतीय, 83 रकबा 1.92 हे0 किस्म बारानी तृतीय, 84 रकबा 0.64 हे0 किस्म बारानी तृतीय, 85 रकबा 0.40 हे0 किस्म बारानी तृतीय, 86 रकबा 3.36 हे0 किस्म बारानी तृतीय, 87 रकबा 0.80 हे0 किस्म चाही तृतीय, 88 रकबा 0.51 हे0 किस्म बारानी तृतीय, 89 रकबा 0.17 हे0 किस्म बारानी तृतीय कुल किता 9 कुल रकबा 8.16 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 237 पर स्थित है। जिसके लिये नकल जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 व नक्शाट्रेस पेश है।

यह कि आपसी सहमती से मौखिक विभाजन में प्रार्थीगण का आराजी संख्या 82 रकबा 0.21 हे0, 83 रकबा 1.92 हे0 पर आधिपत्य चला आ रहा है तथा प्रार्थी अपनी आराजी में विपक्षी संख्या एक की आराजी संख्या 73 रकबा 0.68 हे0 में से सदैव से संजबैल व गाड़ियों से आवागमन करता आ रहा है व इस वर्ष भी इसी रास्ते से आवागमन कर फसल की बुवाई की। प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन करने का सबसे सुगम व नजदीकी रास्ता विपक्षी संख्या एक की आराजी संख्या 73 में ही स्थित हैं इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर स्थित नहीं है। एकमात्र रास्ता विपक्षी संख्या एक आराजियात में स्थित है।

यह है कि प्रार्थीगण आराजी संख्या 82 व 83 में आवागमन करने का एकमात्र रास्ता विपक्षी संख्या एक की आराजी संख्या 73 स्थित है। लेकिन राजस्व रेकार्ड में रास्ता नहीं होने से आये दिन विवाद बना रहता है जिससे न्यायहित में विपक्षी संख्या एक की आराजी संख्या 73 के पूर्वी मेड पर दक्षिण से उत्तर 15 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

यह कि आराजी संख्या 82 व 83 में रास्ता दिलाये जाने से प्रार्थीगण के साथ विपक्षीगण भी इसी रास्ते का आराजी संख्या 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 में आवागमन कर सकेंगें तथा राजस्व अभिलेखों में विभाजन नहीं हुआ है। केवल मौखिक विभाजन कर रखा है। आराजीस संख्या 82 व 83 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है जिससे अगर आराजी संख्या 73 जो विपक्षी संख्या एक के कब्जे में है इससे रास्ता दिलाया जाता है तो दिगर खातेदारों के हितों पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा विपक्षी संख्या दो लगायत तीस प्रार्थी नहीं बनने से व आराजी संख्या 82 व 83 में भी विपक्षी संख्या दो लगातय तीस का नाम राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित होने से पक्षकार संयोजित किया गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 13:28:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर

प्रार्थीगण रास्ते के रूप में उपयोग आने वाली भूमि की डी0एल0सी0 दर से राशि विपक्षीगण को देने को तैयार है।

अतः निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या एक की ग्राम सातलियास पटवार हल्का सातलियास की आराजी संख्या 73 में से 15 फीट चौड़ा रास्ता आराजी संख्या 82 व 83 में आवागमन के लिये प्रार्थी को दिलाया जावें तथा उक्त रास्ते को बिलानाम रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें।

प्रकरण विधिवत इस न्यायालय में दिनांक 09.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी संख्या 01 लगायत 30 बावजूद सूचना अनुपस्थि अतः इसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पेरोकार उपस्थित। पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं होने से जवाबदेही बंद की जाती है।

तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/20/836 दिनांक 06.11.2020 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

<u>मौका पर्चा अनुसार :–</u>

–यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी संख्या 73 में मौके पर कोई रास्ता बना हुआ नहीं है।

–यह कि मौके पर उक्त आराजी नं0 73 के उत्तर दिशा में लोहे की तार लगाकर बंद कर रखा हैं

–यह कि मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं हैं।

–यह कि मौके पर प्रार्थी अनुपस्थित तथा पड़ौसी खातेदार ने बताया कि वर्तमान में दक्षिण दिशा में स्थित खातेदारी भूमि में से होकर आवागमन कर रहा हैं।

– यह कि आराजी नं0 73 में से चाहा गया 15 फीट चौड़ा रास्ता जिसकी लम्बाई 64 मीटर बनती है। उक्त आराजी नं0 73 रकबा 0.68 हे0 में से 0.0256 हे0 भूमि प्रभावित होती है । ग्राम सातलियास की असिंचित पास की डी0एल0सी0 दर 241390/– रूपये प्रति हेक्टयर निर्धारित है, जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि 0.0256 हे0 भूमि की मालियत 6180/–रूपये होती है। जिसकी दुगनी राशि [illegible]/– रूपये होती है।

– यह कि प्रस्तावति रास्ते को [illegible] नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है।

– यह कि मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता राजस्व नक्शे में दर्ज नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 13:28:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर

वर वक्त सुनवाई प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

मैनें पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एवं मौका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 82, 83 में आवागमन करने का सबसे नजदीकी रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 73 में मौके पर कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। मौके पर उक्त आराजी नं0 73 के उत्तर दिशा में लोहे की तार लगाकर बंद कर रखा हैं। मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। आराजी नं0 73 में से चाहा गया 15 फीट चौड़ा रास्ता जिसकी लम्बाई 64 मीटर बनती है। उक्त आराजी नं0 73 रकबा 0.68 हे0 में से 0.0256 हे0 भूमि प्रभावित होती है । अर्थात रास्ते हेतु कुल 0.0256 हे0 भूमि का नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण की ग्राम सातलियास प0ह0 सातलियास की आराजी नं0 73 रकबा 0.68 हे0 में से 0.0256 हे0 भूमि भूमि रास्ते हेतु बनती है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0दर 241390/– है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार डी0एल0सी0दर से मालीयत 6180/–रूपये होती है। जिसकी दुगुनी राशि 12360/–रूपये प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 को भुगतान करने के पश्चात उक्त आराजी नं0 73 रकबा 0.68 हे0 में से 0.0256 हे0 भूमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थीगण से राशि 12360/– रूपये प्रार्थीगण से वसुल कर विपक्षीगण संख्या 1 को जरिये नोटिस सूचित करा राशि उपलब्ध करावें विपक्षीगण द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम सातलियास प0ह0 सातलियास की आराजी संख्या 82, 83 में आने जाने के लिए रास्ता मौके पर्चे में वर्णितानुसार एवं नक्शाट्रेस में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार बिलानाम गै0मु0 रास्ता दर्ज अभिलेख करें तथा तदनुसार नक्शें में तरमिम की जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.[illegible] खुले न्यायालय में [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.26 13:28:12 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा 5